

रेलवे अनापेक्षित घटना/दुर्घटना में न्यायालय आदेशानुसार दावा के भुगतान हेतु

न्यायालय प्रकरण

बैंक शाखा प्रबन्धक

निम्नलिखित ग्राहक/ ग्राहकों का बैंक खाता इस बैंक में है :

<u>ग्राहक का नाम</u>	<u>खाता सं.</u>	<u>IFSC</u>
1.		
2.		
3.		
4-		

यह सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त बैंक खाते निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं (जो लागू न हो उसे काट दे)

1. खाते के प्रकार- बचत खाता/Railway Claims Tribunal Annuity Deposit (RCTAD) Scheme।
2. निवास स्थान के निकट राष्ट्रीयकृत बैंक में एकल बैंक खाता।
3. अवयस्क के मामले में एकल नाम में संरक्षक के माध्यम से एकल खाता।
4. एकल संचालन।
5. बैंक पासबुक पर चेक बुक/ डेबिट कार्ड/ एटीएम कार्ड/ वेलकम किट/ इंटरनेट बैंकिंग/ मोबाइल बैंकिंग की सुविधा प्राप्त न होने की प्रविष्टि।
6. सिर्फ विड्राल फॉर्म या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से निकासी।
7. खातों का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता।

शाखा प्रबन्धक के हस्ताक्षर मुहर सहित

बैंक की सील

## EFT/NEFT/RTGS के लिए मांग फार्म

1. खाता धारक का विवरण (बैंक रिकार्ड के अनुसार)

(I) नाम—

(II) पता—

(III) बैंक खाता सं-

(IV) मोबाइल नंबर-

(V) पैन/आधार कार्ड (स्वप्रमाणित)

2. बैंक का विवरण----

(I) बैंक का नाम-

(II) शाखा-

(III) बैंक का पता-

(IV) बैंक का मोबाइल नंबर-

(V) बैंक का E-MAIL ID -

(VI) बैंक का IFSCकोड-

(VII) बैंक का MICR कोड-

3. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि, उपरोक्त विवरण सही और पूर्ण है। यदि लेन-देन में अपूर्ण या गलत जानकारी के कारण देरी हो रही है या प्रभावी नहीं हुई है, तो इसके लिए रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

दिनांक:    /    /

(खाता धारक का हस्ताक्षर)

प्रमाणित किया जाता है कि बैंक खाते के संदर्भ में प्रस्तुत विवरण सही है और RBI के नियमों के अनुसार EFT/NEFT/RTGS का सम्मान करने के लिए बैंक गारंटी देता है।

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित)